पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 293/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 18.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना सरायमीर: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा अंजू पत्नी रणधीर ग्राम नन्दाव (महराजगंज) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दी कि मै अपने घर के बाहर शाम करीब 8 बजे बैठी थी तभी मेरे गाँव के अमित,अमन पुत्र अरविन्द पता उपरोक्त एवं इनके साथी पता खुटैली एवं संन्तोष पुत्र राम प्रसाद ग्राम असपतपुर ये लोग मनबढ एवं दबंग किस्म के लोग है मेरे घर के सामने से गाडी तेज गति से लेकर आना जाना एवं अनावश्यक हार्न बजाते है। जब मैने पूछा कि भैया हार्न इतना क्यों बजा रहे है तो मां बहन की भद्दी- भद्दी गाली देने लगे और जब मेरे पति भी मना किये तो ये लोग मिलकर हाकी एवं राड से मिलकर मारने लगे। अमित कट्टा लेकर मेरे सर पर मारा जब मेरे पति बचाने गये तो उनके सर पर हांकि से मारा मेरे पति मौके पर मरणासन(बेहोश) हो गये। मै घबडा गई तुरन्त 1090 एवं 108 एम्बुलेंस पर सूचना दिया ,एम्बुलेन्स से लेकर मुहम्मदपुर समुदायिक स्वास्थ केन्द्र पर लेकर गयी मेरे पति की गम्भीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जिनका इलाज जिला चिकित्सालय आजमगढ में चल रहा है। दिनांक 01.09.24 को सुवह अमित, अमन के परिचित एवं सम्बन्धी जिला चिकित्सालय में पहुंच कर धमकी दे रहे थे कि सुलह समझौता कर लो नहीं तो आगे भी इससे बुरा होगा। तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 470/24 धारा -110/352/115(2)351(2)/3(5) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम बनाम 1. अमित 2. अमन पुत्रगण अरविन्द पता नन्दाव (महराजपुर) थाना- सरायमीर जिला आजमगढ़ 3. करन पुत्र अज्ञात पता खुटैली थाना फूलपुर 4. संतोष पुत्र राम प्रसाद ग्राम असपतपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 5. अन्य परिचित /रिस्तेदार नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वर्णित धारा 110/351(2) बीएन्एस का लोप करते हुए धारा 109(1)/117(2)/351(3) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी हैं।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 18.09.2024 को उ0नि0 देवचरण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त सन्तोष पुत्र रामप्रसाद सा0 असपतपुर थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को नन्दाव बजारा तिराहे के पास से समय करीब 11.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की राड को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02. थाना- निजामाबादः दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 17.09.24 को वादिनी मुकदमा थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि द्वारा विपक्षी 1.राजकुमार गौङ पुत्र छांगुर गौङ नि0 रेवरा परवेजपुर थान निजामाबाद जनपद आजमगढ 2.संदीप गौङ पुत्र रामजियावन गौङ निवासी छोटी कोरौली थाना सरायमीर जनपद आजमगढ 3.संतोष गौङ पुत्र छोटेलाल गौड़ निवासी ग्राम रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की धमकी देकर वादिनी के साथ कई बार शारीरिक सम्बंध बनाया गया व वादिनी के इनकार करने पर वीडियो वादिनी के पति के मोबाइल पर भेज दिया गया व गाली गुप्ता देना व वादिनी के बच्चो को जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 464/24 धारा 70(1),352,351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट बनाम 1.राजकुमार गौङ पुत्र छांगुर गौङ नि0 रेवरा परवेजपुर थान निजामाबाद जनपद आजमगढ 2.संदीप गौङ पुत्र रामजियावन गौङ निवासी छोटी कोरौली थाना सरायमीर जनपद आजमगढ 3.संतोष गौङ पुत्र छोटेलाल गौड़ निवासी ग्राम रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 18.09.24 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.संतोष गौंड पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद आजगमढ 2.संदीप गौंड पुत्र रामजीयावन गौंड निवासी कोरौली खुर्द थाना सरायमीर आजमगढ 3.राजकुमार गौंड पुत्र छागुर गौंड निवासी रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद आजगमढ को 03 मोबाइल के साथ सेण्टरवा मोड के पास से समय करीब 9.40 बजे बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त राजकुमार का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 207/20 धारा 308,504,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 208/24 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

अभियुक्त संदीप गौंड पुत्र रामजियावन का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 395/22 धारा 366/504 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

2.मु0अ0स0 25/23 धारा 323,494,506,498 ए भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

03.थाना- महराजगंज: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 17.09.2024 को उ0नि0 धीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.नरसिंह वर्मा पुत्र सूर्यनाथ वर्मा निवासी नौबरार तुर्कचारा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष 2. छोटेलाल यादव पुत्र रामाश्रय़ यादव निवासी नौबरार तुर्कचारा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को एक अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 02 कारतूस 315 बोर जिन्दा व एक अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 कारतूस 32 बोर जिन्दा व 03 कारतूस 09 एमएम के साथ समय 22.45 बजे बजे घटनास्थल रायपुर प्राथमिक विद्यालय से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 357/24 धारा 3/5/7 A. ACT पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस